खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0041 / 2017

1. Shantilal S/o Vijay Kumar, B/C Jain, R/o Purana Bus Stand, Kuchera, Firm- Vanita Kirana Store, Main Bazar, Kuchera.
2. Pankaj Mathur, Firm- Rana Milk Food Private Limited, 5 Amratlal Gahlot, Mukhya Krishi Mandi Mandor Road, Jodhpur.
3. Girish Bohra (Quality Assistant) Rana Milk Food Private Limited, 5 Amratlal Gahlot Mukhya Krishi Mandi Mandor Road, Jodhpur.

——अपीलार्थीगण

:: विरूद्व ::

1. State of Rajasthan, through the Commissioner, Food Safety, Rajasthan, Jaipur.
2. Food Safety Officer, Office of Chief Medical and Health Officer, Nagaur.

——प्रत्यर्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री सियाराम शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अभिजीत पंचारिया, अधिवक्ता वास्ते श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं.01 राज्य

:: निर्णय :: **दिनांक : 16.01.2018**

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, नागौर के आदेश दिनांक 30.05.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 12 / 2015 सरकार बनाम शांतिलाल वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट पर क्रमशः 30,000, 50,000 एवं 70,000 रूपये (कुल अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर ने अपीलार्थी सं.01 के यहां से प्रिमियम रॉयल ब्राण्ड घी की खरीद की गई जिसका विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण में मानक में कोई कमी नहीं पाई गई परन्तु पेकिंग के लेबल में Best Before जोकि बड़े अक्षरों लिखना चाहिए था, उसके स्थान पर छोटे अक्षरों में मुद्रित था। इस कारण सैम्पल को मिसब्राण्ड माना गया। बाद सुनवाई न्याय निर्णायक अधिकारी ने अपीलार्थीगण पर उक्तानुसार कुल एक लाख पचास हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

3. अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि पेकिंग लेबल पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के रेगूलेशन 2.2.10 (2) की सारतः पालना कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि पेकिंग पर कोई तथ्य अंकित नहीं हो और जहां प्रावधानों की सारतः पालना कर दी जाती है वहां सैम्पल को मिसब्राण्ड नहीं माना जा सकता।

4. प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तर्को की पुनरावृति की और अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) एफएसी 74 झारखण्ड हाई कोर्ट ऑस्कर जोसेफ व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य, 2012 (2) एफएसी 76 बोम्बे हाई कोर्ट माधवन गणेशन व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य एवं एसबी. क्रिमीनल रिट पीटीशन नं. 287/2014 राजस्थान उच्च न्यायालय ओमप्रकाश नटानी व राजस्थान राज्य प्रस्तुत किए।

7. योग्य अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी का मुख्य तर्क यह रहा कि विधि द्वारा प्रावधानित प्रक्रिया से ही प्रावधान की पालना की जानी चाहिए, कोई पक्षकार अपने स्तर पर नई प्रक्रिया नहीं अपना सकता।

8. **अवधार्य बिन्दु** :––

''आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, नागौर ने आलौच्य आदेश दिनांक 30.05.2017 को पारित करने में तथ्य एवं विधि की भूल की है?''

9. **विनिश्चयः**–– अपीलार्थीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

10. **विनिश्चय के कारणः––**

11. जहां तक सैम्पल लेने के समय पैकिंग पर Best Before मुद्रित करने का प्रश्न है, यह स्वीकृत तथ्य है कि पैकिंग पर उक्त मुद्रण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के रेगूलेशन 2.2.10(2) के अनुरूप नहीं था। इस

संबंध में 2012 (2) एफएसी 74 झारखण्ड हाई कोर्ट ऑस्कर जोसेफ व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य, 2012 (2) एफएसी 76 बोम्बे हाई कोर्ट माधवन गणेशन व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य प्रस्तुत हुए है। इस प्रकरण में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1955 के नियम 32 के उल्लंघन के संबंध में यह माना गया था कि नियम 32 की सारतः पालना हो जाने से खाद्य पदार्थ को मिसब्राण्ड नहीं माना जा सकता। एसबी. क्रिमीनल रिट पीटीशन नं. 287/2014 राजस्थान उच्च न्यायालय ओमप्रकाश नटानी व राजस्थान राज्य के प्रकरण में Best Before के पश्चात 'With in' शब्द और जोड़ दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में इसे मिसब्राण्ड नहीं माना था। यह माना गया था कि 'With in' शब्द जोड़ देने से तत्वों में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ।

12. विधि के द्वारा जो प्रावधान किया गया है कि पैकिंग लेबल पर Best Before बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा, उसके पीछे तात्पर्य यह है कि बड़े अक्षरों में लिखने पर उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित होता है। इससे उसे यह निर्णय करने में कि उक्त खाद्य पदार्थ तत्समय खरीद करना है अथवा खरीद नहीं करना है। खरीद करने के पश्चात वह निर्धारित अवधि में उसका उपयोग कर पायेगा या नहीं कर पायेगा, इस संबंध में मदद मिलती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पैकिंग लेबल पर विधि द्वारा प्रावधानित तरीके से मुद्रित न करने पर भी विधि के प्रावधानों की सारतः पालना की गई है। जहां पर विधि द्वारा किसी प्रावधान की पालना करने का स्पष्ट तरीका बताया जाता है तो उसकी पालना करने के अन्य सब तरीके गर्भित रूप से अनुमतः नहीं होते है।

13. हस्तगत प्रकरण में पालना में त्रुटि तकनीकी त्रुटि मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है चूँकि अब विधि के प्रावधानों की पालना कर दी गई है और पालना की संपुष्टि में नई पैकिंग लेबल प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई खण्डन नहीं है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 12/2015 सरकार बनाम शांतिलाल वगैरा में पारित किया

गया कि अपीलार्थी संख्या 02 व 03 क्रमशः पंकज माथुर व गिरीश बोहरा फर्म राना मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड पर क्रमशः 50,000 व 70,000रूपये के स्थान पर क्रमशः 3,000 व 7,000रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अपीलार्थी संख्या 01 शांतिलाल पर प्रतिकात्मक शास्ति 1,000रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थीगण को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर